

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 156/2013, पुनः दर्ज :- 147/2019

सायर सिंह बनाम पुष्पा कंवर वगै०

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 10/2/23 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम काली पहाड़ी तहसील झुंझुनू की सरहद में जमीन ख.नं. 121 तादादी 0.65 हैक्टर व ख.नं. 122 तादादी 2.12 हैक्टर कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 2.77 हैक्टर में से वादीगण नं. 1, 2 को 1.662 हैक्टर भूमि का, वादी नं. 4 को 0.554 हैक्टर भूमि का व वादीगण नं. 5 से 8 को 0.554 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी नं. 3 व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 39 का का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



(Signature)
10/2/23
(हवाई सिंह यादव) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

(Signature)
10/2/23
(हवाई सिंह यादव) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू